

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1008 /

जबलपुर, दिनांक 14/03/2022

II-13-10/22

श्री कल्लू खान, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर को हाथ फ्रेक्चर होने के कारण दिनांक 20.10.2021 से 04.01.2022 तक 77 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक C/1008 /

जबलपुर, दिनांक 14/03/2022

II-13-10/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक अवकाश/516 इंदौर, दिनांक 15.02.2022 के संदर्भ में श्री कल्लू खान, कोर्ट अटेंडेन्ट का आवेदन पत्र, कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र, फार्म नं. 3 एवं 4 एवं चिकित्सा पेपर संलग्न सहपत्र वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
